बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

सिरोंजा सागर, (म.प्र.)

(क्षेत्र संचालन विस्तार कार्य/विपणन विस्तार कार्य एवं कार्यालयीन कार्य वाहन के प्रथम ऑन–लाईन निविदा दस्तावेज)

2022–2025

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

क्रमॉक 1046/एफ–11(D)/बु.स.दु.सं./क्षे.सं./वि.नि./22 दिनॉक.**07.11.2022**

संशोधित– (03 11.2022 को प्रकाशित विज्ञप्ति का संशोधन)

–: क्षेत्र संचालन विस्तार कार्य/विपणन विस्तार कार्य एवं कार्यालयीन कार्य हेतु जीप की प्रथम आन–लाईन(On-Line)

निविदा सूचनाः–

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, के क्षेत्र संचालन गतिविधियों के विस्तार कार्य/विपणन गतिविधियों के विस्तार कार्य एवं कार्यालयीन कार्य हेतु एक–एक (कुल दो) वाहनों जीप बोलेरो/समकक्ष वाहन टॉप मॉडल उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक वाहन मालिकों से प्रति कि.मी. की दर से वर्ष 2019 या उसके बाद के पंजीकृत वाहनों के लिये दिनांक 01.12.2022 से 30.11.2025 तीन वर्ष की अवधि हेतु दिनांक 28.11.2022 तक ऑन–लाईन वेब साइट www.mptenders.gov.in के माध्यम से एक या एक से अधिक व्यक्ति ऐजेन्सी/संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

प्रत्येक वाहन के लिए निविदा प्रपत्र के साथ रू. 10000.00 (रु दस हजार मात्र) ''बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर'' के नाम से धरोहर राशि ऑन–लाईन जमा कराना अनिवार्य होगी। निविदा फार्म ऑन–लाईन प्राप्त किए जा सकते है।

निविदा अवधी पूर्ण होने एवं कार्य संतोषजनक होने पर अधिकृत समिति द्वारा एक– एक वर्ष करके अनुबंध अवधी में दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व अनुमोदित दर व शर्तों पर की जा सकेगी।

अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की बेब साइट www.sanchidairy.com से प्राप्त की जा सकती है एवं www.mptenders.gov.in से फार्म भरे जा सकते है। समस्त अथवा कुछ निविदाओं को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा ।

नोटः– मॉडल 2021 के स्थान पर 2019 या उसके बाद को मॉडल स्वीकार होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Tender level Details			
Tender No:		Tender Creation Date and Time:	
NIT No: *	**BKDS/FO/**	Title:	**Tender Notification**
Notice Invited for:	Tender	Stage:	
Tender Call: *	**I[ST]**	Currency:	Indian Rupee
Email:		Division/Basin:	
District:	**Sagar**	Vendor Class:	**-**
Tender Category: *	**Services**	Tender Sub category: *	**Hiring of Vehicles**
Period of Completion (In months): *	**36 months**	Tender Type:	
Form Of Contract:		SOR:	
Name of Work: *	**Office Vehicle**	Work No: *	
Tender Fee details			
Probable Amount of Contract(PAC) in: *	**0.00**	EMD in :*	**10,000.00 per Vehicles Or Rs. 2.00 Lakhs Maximum**
Cost of Document in: *	**250.00**	Processing Fee in :	
Important Dates			
Purchase of Tender Start Date : *	**08/11/2022 01:00 pm**	Pre bid meeting Date and Time:	
Purchase of Tender End Date: *	**28/11/2022 14:00 pm**	Bid Submission End Date: *	**28/11/2022 15:00 pm**
Mandatory Submissions (Envelope A) Open Date: *	**28/11/2022 15:30 pm**	Technical Proposal (Envelope B) Open Date: *	**28/11/2022 16:00 pm**

—:निविदा का विवरण :—

1. निविदा कार्य :— बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के क्षेत्र संचालन के विस्तार कार्य/विपणन विस्तार कार्य एवं कार्यालयीन कार्य हेतु वाहन।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य :— रूपये 250/—(दो सौ पचास रूपये मात्र) ऑन लाईन।
3. निविदा क्रय प्रारंभ दिनांक : दिनांक 08.11.2022 दोपहर 01:00 बजे से।
4. निविदा क्रय करने की अंतिम दिनांक : दिनांक 28.11.2022 दोपहर 2:00 बजे तक।
5. निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समयः दिनांक 28.11.2022 दोपहर 3:00 बजे तक।
6. निविदा खुलने की दिनांक एवं समय : दिनांक 28.11.2022 दोपहर 3:30 बजे।
7. निविदा खोलने का स्थान : कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर।
8. व्यवहार हेतु पता : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सिरोंजा, सागर।

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र हेतु निम्न जानकारी/दस्तावेज '' तकनीकी निविदा'' लिफाफा क्र. (1) में रखे जाने वाले प्रपत्र।

(अ) धरोहर राशि (EMD) (रसीद की छायाप्रति रु 10000/-)

(ब) वाहन के कागजात

(स) निविदा प्रपत्र (फार्म A) हस्ताक्षरित **ANNEXTURE-III**

(द) निविदा नियम एवं शर्ते **ANNEXTURE-I** (हस्ताक्षरित)

नोटः— निविदा प्रपत्र Price Bid को Online एवं Technical Bids को Online एवं Offline माध्यम से ही भेजा जावे।

क्षेत्र संचालन विस्तार कार्य एवं कार्यालय कार्य हेतु जीप वाहन निविदा प्रस्तुत करने बावत् नियम एवं अन्य शर्ते

1. बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा क्षेत्र संचालन एवं विपणन कार्यालयीन कार्य हेतु जीप वाहन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों को निविदाकार द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ना तथा समझना आवश्यक है।
2. निविदा के साथ रूपये 10,000/-(रूपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि EMD के रूप में ऑन–लाईन जमा करना अनिवार्य होगा।
3. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को, निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।
4. सागर मुख्यालय से संचालित वाहन जीप का टॉप माडल होना चाहिये (जिसमें ऐ.सी./म्यूजिक सिस्टम स्थापित हो ,जीप की बीच की सीट हाई हो, जिसमें हेड टिक सके जीप आगे पीछे कमानी पत्ते न हो संस्पेंशन होना चाहिए)
5. निविदा प्रस्तुत करने के दिनॉक को ऐसे निविदाकार जिनके पास स्वयं के नाम का आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत वाहन हो या ऐसे निविदाकार जो कार्य प्रारंभ करने के 10 दिन बाद अपना वाहन उपलब्ध करा सकेगें, वे निविदा भरने के पात्र होगें। इस समयावधि में किसी भी स्थिति में बढ़ोत्तरी नहीं की जावेगी। निर्धारित अवधि में ऐसे निविदाकारों द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। निविदाकार द्वारा स्वंय की मिलकीयत दर्शाने के लिए कोई इकारानामा/शपथ पत्र/रसीद अथवा कोई अधिकार पत्र मान्य नही किया जावेगा। केवल आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत पत्र ही वाहन की मिलकीयत के लिए मान्य होगा।
6. नवीन वाहन की स्थिति में निविदाकार को कार्यआदेश प्राप्त करने के दिनॉक से एक माह की अवधि के अंदर कार्यादेश में वर्णित समस्त दस्तावेज उपलब्ध (प्रस्तुत) करना आवश्यक एंव अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर राशि राजसात कर ली जावेगी।
7. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाकर कार्य आवंटन आदेश जारी किया जायेगा। अधिकतम दरों का आंकलन कर, दर फाइनल करते समय इसे संज्ञान में लिया जायेगा।
8. निविदाकार के पास स्वयं के नाम पर पंजीकृत वाहन होना चाहिये। ऐसे निविदाकार ही निविदा भरने के पात्र होगे। निविदा की जाने वाली वाहन का बीमा, पंजीयन, पेन कार्ड,, प्रदूषण जॉच रिपोर्ट एवं अन्य कागजात निविदा पत्र के साथ ऑन–लाईन अपलोड करना होगा। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित तिथि पर वाहन उपलब्ध न कराने धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्त्यार नामा है। इस प्रकार उक्त भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
10. निविदा बिना कारण बताये अस्वीकृत की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् उसे वापस लेने का अधिकार निविदा प्रस्तुत कर्ता को नहीं होगा। निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर सुरक्षा निधि जब्त कर ठेका निरस्त किया जावेगा।
11. निविदा में संशोधन की दशा में केवल एमपीसीडीएफ की वेबसाईट पर ही संशोधन अपलोड किए जावेगें। पृथ्क से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जावेगी।
12. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को अनुबंध तथा प्रतिभूति की राशि के साथ बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रूपये 100/– का एक अंश प्रतिवर्ष

अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंधन मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगें। संघ के साथ व्यापारिक सम्बंध बने रहने तक वे नाम मात्र के सदस्य बने रहेगें।

13. निविदा स्वीकृत होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर द्वारा दी गयी कार्यादेश की सूचना की अभिस्वीकृति लिखित में सूचना प्राप्ति के 3 दिन के अंदर सागर कार्यालय में ठेकेदार को रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) अतिरिक्त सुरक्षा राशि के साथ जो संघ को ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराकर अभिस्वीकृति देनी होगी, अन्यथा वाहन ठेकेदार की धरोहर राशि जप्त कर निविदा निरस्त की जावेगी । इस प्रकार कुल सुरक्षा निधि 20,000/– होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो ऐसी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त की जावेगी।

(अ) वाहन ठेकेदार को अनुबंध कर वाहन दुग्ध संघ को सौपना होगा। (वाहन के आवश्यक दस्तावेजों मूल प्रति सहित)

(ब) वाहन 24 घंटे दुग्ध संघ के अधिकार में रहेगा एवं उसका उपयोग करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

(स) डीजल/ऑयल आवश्यकतानुसार समय पर वाहन ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने पर संघ द्वारा डीजल/ऑयल करवाया जाता है तो अर्थदण्ड सहित देयक से वसूल किया जायेगा।

(द) वाहन जीप का 2500 किमी. न्यूनतम प्रतिमाह का भुगतान ठेकेदार को किया जायेगा।

(ई) वाहन जीप मॉडल वर्ष 2019 एवं इसके बाद का ही स्वीकर किया जायेगा।

(ड) शासन के नियमानुसार डीजल की दर वृद्धि औसत 15 किमी/लीटर के मान से प्रतिमाह की एक तारीख को सागर मुख्यालय की डीजल दर को आधार मान कर वृद्धि/ कमी की गणना कर देय होगी ।

नियमानुसार आयकर एवं अधिभार राशि की कटौती बिल में से की जायेगी यदि निविदाकार की कर योग्य आय कर निर्धारण सीमा से कम हो तो उसे आयकर अधिकारी से आयकर का कटौत्रा न करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अमान्य कर सकेगा।

16. सफल निविदाकार को रूपये 1000/–के नान ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर कार्य आदेश प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर संघ से विधिवत अनुबंध निर्धारित प्रारूप में निष्पादित करना होगा। अनुबंध निष्पादित न करने की स्थिति में वाहन के कार्य आदेश को निरस्त करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

17. दुग्ध संघ एवं दुग्ध समिति में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संचालक मण्डल के सदस्यों में निविदाकर्ता का कोई निकट का रिश्तेदार माता, पिता, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, सगे भाई बहन आदि नही होना चाहिए। शिकायत प्राप्त होने पर एवं जांच में सही पाये जाने पर निविदाकार द्वारा भरी गई समस्त प्रतिभूति/अमानत राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

18. अ) भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर यदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी अथवा कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा तो उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार वाहन ठेकेदार को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर प्रावधान के अनुसार नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयको/प्रतिभूति से वसूल की जावेगी। जिसकी

पूर्ण जवावदारी वाहन ठेकेदार की होगी। इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व वाहन ठेकेदार का होगा। वाहन ठेकेदार को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर

अनुबंधकर्ता की फोटो

परिवहनकर्ता हेतु अनुबंध पत्र का नूमना पत्र

रूपये 1,000/– के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

// अनुबंध पत्र //

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक ....को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर) अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी है। एंव द्वितीय पक्षकार (निविदा कार) श्री................................ ....पिता.श्री/श्रीमती..निवासी.. ....एवं उत्तराधिकारी................................श्री/श्रीमती.. ....हैं ।

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के मुख्यालय से कार्यालीयन कार्य/ क्षेत्र संचालन/विपणन विस्तार कार्य हेतु सागर दुग्ध संघ के क्षेत्र एवं आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर संघ अधिकारी, कर्मचारी के भ्रमण हेतु प्रथम पक्षकार बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर में वाहन जीप का पंजीयन क्र................. .द्वितीय पक्षकार को आदेश क्र. .... दिनांक अनुसार आदेशित किया जाकर प्रथम पक्षकार ने इसे आगे लिखे गये नियमों एवं शर्त पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन परिवहन दर ....(अक्षरी रूपये...............................प्रति कि. मी..) पर अग्र लिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध स्वीकार किया है ।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वंय का पासपोर्ट साईज फोटो सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभय पक्षों को मान्य होगी। भ्रमण दौरान मार्ग पर पड़ने वाले टोल टैक्स का भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जाना होगा ।

1अ) यह कि, संघ के द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना, कार्यालयीन वाहन क्षेत्र संचालन/विपणन विस्तार कार्य हेतु दर, आमंत्रण सूचना पर द्वितीय पक्ष द्वारा उनके वाहन मॉडल –––––––– क्रमांक –––––––– को कार्यालयीन कार्य /विस्तार कार्य के लिये निविदा कार्य हेतु आवेदन को प्रथम पक्ष द्वारा जारी किये गये आदेश क्रमांक ––––––– दिनांक ––––––– द्वारा दर रूपये –––––––– प्रति कि.मी. पर दिनांक––––––– से –––––––तक की अवधि के लिये स्वीकार किया गया है।

ब) वाहन संचालन अवधि में द्वितीय पक्ष का व्यवहार एवं कार्य उत्तम पाया जाता है एवं द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन संचालन हेतु आवेदन/सहमति दी जाती है तो ऐसी स्थिति में समान दर एवं अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अधिकृत समिति की अनुशंसानुसार निविदा अवधि को एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि दो वर्ष तक बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

वाहन ठेकेदार को रूपये 100.00 (रूपये एक सौ मात्र) का भुगतान कर संघ का नाम मात्र का सदस्य बनना अनिवार्य होगा एवं इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। नाम मात्र सदस्य बनने के बाद ठेकेदार को संघ के किसी कार्य में हस्तक्षेप करने अथवा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

वाहन ठेकेदार निविदा के साथ जमा की गई ई0एम0डी0राशि, रू.20000/– Security Deposite के रूप में जमा रहेगी, ऐसी जमा राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

2 वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंध (ठेका) अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन बंद कर लिये जाने की स्थिति में ठेकेदार तथा उसके वाहन को ''कालीसूची'' में दर्ज किया जाकर पाँच वर्षों के लिय प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा उसके समस्त लंबित देयकों एवं प्रतिभूति राशि को संघ द्वारा राजसात कर लिया जावेगा। परंतु अनुबंधित वाहन के दुर्घनाग्रस्त होने की स्थिति मे जबकि वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया हो, इस शर्त को विवेक के आधार पर शिथिल किया जा सकेगा।

वाहन के मार्ग में पड़ने वाले टोल टैक्स नाकों एवं मार्ग के अन्य करों का भुगतान ठेकेदार को ही वहन करना होगा

3 वाहन ठेकेदार द्वारा विस्तार कार्य हेतु संघ द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत मोटर वाहन ही उपयोग में लाना होगा। साधारणतः ठेकेदार बिना संघ की अनुमति के अनुबंधित वाहन नहीं बदल सकता,वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिये बिना अनुमति के वाहन बदला जा सकेगा, परन्तु इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक से अधिक दिन का समय लगता है, तो संघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि के लिये दूसरा वाहन चलाया जा सकता है।

4 वाहन ठेकेदार/वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा आपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की सूचना मिलने की स्थिति में, यह ठेका अपने आप समाप्त समझा जावेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबन्ध को निरस्त कर दें । अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में संघ को जो भी हानि होगी उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि वसूली योग्य राशि ठेकेदार को संघ में जमा राशि से अधिक होती है तो वह रकम ठेकेदार से भू–राजस्व के रूप में वसूल की जावेगी।

5 श्रम कानून, मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत मोटर वाहन एवं उसके कर्मचारियों से संबंधित सभी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

6 ठेका अवधि में यदि ठेकेदार का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसी दशा में ठेका निरस्त कर दिया जावेगा व ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि एवं प्रस्तुत देयकों की राशि (लंबित होने पर) राजसात कर ली जावेगी।

7 ठेकेदार को प्रतिमाह एक बार देयकों का भुगतान किया जावेगा, इस संबंध में ठेकेदार को माह की 05 तारीख तक दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा निर्धारित अवधि में देयक प्रस्तुत किये जाने पर साधारणतः उनका भगुतान प्रस्तुति दिनांक से 15 दिन के (अपरिहार्य कारणों को छोड़कर) अंदर किया जायेगा।

8 अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् 30 दिनों के अंदर ठेकेदार को, वाहन की कॉप्रिहेन्सिव बीमा पॉलिसी सत्यापन हेतु संघ कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें वाहन के साथ उसमें चलने वाले कर्मचारियों का बीमा कवर किया जावेगा। इस हेतु प्रीमियम ठेकेदार द्वारा ही देय होगा।

9 वाहन ठेकेदार को आयकर का स्थाई नम्बर (पेन) कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक देयक पर पैन नम्बर अंकित करना आवश्यक है।

10 वाहन में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में जो भी श्रम कानून लागू हों उनके पालन की समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक/ठेकेदार की रहेगी तथा उन कर्मचारियों का बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सागर से कोई सम्बन्ध नहीं माना जावेगा।

11 यह कि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से तात्पर्य इस कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी से होगा, चाहे भविष्य में यह पद किसी भी नाम से जाना जावे।

12 अनुबंध पत्र की शर्तों में संशोधन/ नई शर्तें जोड़ने का पूर्ण अधिकार दोनों पक्षों की सहमति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, सागर के पास सुरक्षित रहेगा।

13 अनुबंधित वाहन में ड्रायवर के अलावा ठेकेदार का अन्य कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकेगा तथा ड्रायवर के पास वैद्य ड्रायविंग लायसेन्स अनिवार्य होगा। चालक के वैद्य लायसेन्स, वाहन का पंजीयन, टैक्सी परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स आदि की फोटो कापियां अनुबन्ध के साथ संघ के महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन) को मूल दस्तावेजों से प्रमाणित कराकर जमा करना चाहिये।

14 अनुबंधित वाहन में अधिकारी/कर्मचारी यात्रा करेगा उससे शुरू एवं अन्त में किलोमीटर रीडिंग/लॉगबुक पर हस्ताक्षर लेना अनिवार्य होगा।

15 डीजल आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, इस हेतु किसी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जावेगा।

16 सक्षम अधिकारी द्वारा जिस समय वाहन बुलाया जावेगा उसी समय वाहन उपलब्ध कराना होगा।

17 वाहन हमेशा अच्छी हालत में रखना होगा, वाहन मे एयर कंडीशनर चालू हालत में होना चाहिए आवश्यकतानुसार ए.सी. उपयोग में लायें जाने योग्य हो।

18 वाहन को नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की कच्चे एवं पक्के मार्गों में जाना अनिवार्य होगा।

19 वाहन को प्रतिदिन समय पर अथवा अधिकारी द्वारा बताये गये समय पर कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

20 निर्देशित समय से 10 मिनट पश्चात् अथवा आधे घण्टे तक अगर वाहन उपस्थित नहीं होता है तो रू. 50/– का जुर्माना भुगतना होगा। नियत समय से आधे घण्टे से अधिक विलम्ब होने पर उस दिन कार्यालय द्वारा वाहन उपयोग में नहीं लाया जावेगा एवं ठेकेदार को रू. 250/– का जुर्माना भुगतना होगा। वाहन खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक समकक्ष वाहन उपलब्ध कराना होगा। वैकल्पिक वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में यदि दुग्ध संघ द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसी स्थिति में वाहन का वास्तविक

व्यय अथवा निविदा की स्वीकृत दर पर आंकलित व्यय में से जो अधिक होगा, वह राशि वाहन ठेकेदार को देयक से काटी जावेगी।

21 प्रतिमाह वाहन कम से कम 2500 कि.मी. चलाया जावेगा।

22 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16.06.2017 से भारत शासन की तेल कंपनियों द्वारा प्रतिदिन डीजल की दर में कमी/वृद्धि (परिवर्तन) डीजल दर माह की एक तारीख को प्रभावशील डीजल दर अनुसार ही पूरे माह का देयक पारित किया जावेगा। दर की कमी/वृद्धि की गणना वाहन की क्षमता औसत 15 कि.मी/लीटर के आधार पर की जावेगी।

23 यदि अनुबंधित वाहन रास्ते में खराब होने की वजह से उस दिन का निर्धारित दौरा पूर्ण नहीं करता है तो उस दिन चली दूरी का भुगतान संघ द्वारा नहीं किया जावेगा।

24 उभय पक्ष को 30 दिन की पूर्व सूचना पर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।

25 किसी भी प्रकरण में सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिती निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिती में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

26 अनुबंध टंकन में. त्रुटि होने पर प्रथम पक्षकार का निर्णय मान्य होगा ।

27 विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवही का कार्यक्षेत्र जिला सागर रहेगा ।

मै.......... द्वितीय पक्ष ने उक्त अनुबंध शर्ते का अवलोकन भलीभॉति एंव पूर्ण होशोहवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा एंव अनुबंध की समस्त शर्ते मान्य है। निम्न साक्षियो के प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर	हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता................................ नाम... पिता /पति का नाम.............. पता.. दूरभाष कं................................... मोबाईल नम्बर............................ स्थाई लेखा संख्या पेन...........................

अनुबंधनकर्ता जमानतदार का नाम एंव हस्ताक्षर	अनुबंधकर्ता गवाही का नाम एंव पता
1 हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
पता	पता
दूरभाष	दूरभाष
आई.डी.प्रूफ	आई.डी.प्रूफ
2 हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
पता	पता
दूरभाष	दूरभाष
आई.डी.प्रूफ	आई.डी.प्रूफ

नोटः– उपरोक्त अनुबंध पत्र अघोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

(ANNEXURE-III)

(फार्म A)

(नोट :— निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेगें।)

निविदाकार अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ चिपकायें एवं स्वप्रमाणित हस्ताक्षर करना होगें जो आधे फोटो पर व आधे इस पेज पर।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
सिरोंजा, सागर (म.प्र.)

विषय :— क्षेत्र संचालन विस्तार कार्य/विपणन विस्तार कार्य एवं कार्यालयीन कार्य हेतु वाहन।

महोदय,

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के द्वारा प्रकाशित जीप हेतु ई—निविदा सूचना को एवं इस दस्तावेज को भली—भांति पढ़ व समझ लिया है। यह दस्तावेज हमारे द्वारा से डाउन लोड किया है ।

1. मैं इस दस्तावेज की शर्तों व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ।
2. मेरा विवरण निम्नानुसार है :—

स.क्रं.	विवरण	विवरण
1	निविदाकार का पूरा नाम	
	वाहन क्षेत्र संचालन हेतु या विपणन विस्तार कार्य हेतु	
	पता	
	दूरभाष क्रमांक कोड सहित —	
	मोबाईल नम्बर —	
	ई—मेल —	
2	प्रस्तुत वाहन का प्रकार —	
	वाहन का माडल वर्ष —	
	वाहन का पंजीयन क्रमांक /नवीन वाहन	
	वाहन का बीमा क्रमांक यदि हो	
3	तकनीकी बिड के साथ वांछित एंव अर्नेस्ट मनी की रसीद क्रंमाक	..............................(छायाप्रति संलग्न करें)
4	निविदाकार का आयकर स्थायी खाता क्रमांक	.....................................(छायाप्रति संलग्न करें)
5	निविदा फार्म क्रय किये जाने/बेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के मूल्य की मनी रसीद का क्रंमाक	.....................................(छायाप्रति संलग्न करें)

5. मेरी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूर्ति राशि दुग्ध परिवहन निविदा अन्तर्गत राजसात की गई है। यदि हॉ तो विवरण दें। हाँ/नही
6. क्या आपको दुग्ध संघ द्वारा निविदा भरने या कार्य से प्रतिबंधित किया गया था। हाँ/नही

यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्यालयीन वाहन जीप संचालक कार्य सौपा जाता है तो मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिये पूर्णतः सहमत हूँ।

मैं यह शपथपूर्वक घोषणा भी करता हूँ कि मुझे किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/शासकीय एजेन्सी ने निविदा प्रस्तुती की दिनांक तक काली सूची में दर्ज नही किया है/सम्बंधित संस्था की आगामी, निविदा में भाग लेने से वंचित नही किया है ।

यदि उपरोक्तानुसार शपथ मे जानकारी असत्यता/त्रुटि पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्ती योग्य होगी।

मैं इसके द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियॉ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर . . . .

नाम . . . .
पता . . . .

(फार्म B)

(ANNEXTURE-IV)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
सागर (म.प्र.)

विषयः— **क्षेत्र संचालन विस्तार कार्य/विपणन विस्तार कार्य एवं कार्यालयीन कार्य वाहन हेतु दर प्रस्तुत करने बावत्।**

महोदय,

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के द्वारा आमंत्रित ''ई–निविदा'' के अनुसार बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ से सम्बंधित।

संलग्न विवरण पत्रक अनुसार दर प्रस्तुत है :—

नोट

1. सम्बंधित मार्ग पर आने वाले टोल शुल्क की राशि का भुगतान पृथक से नहीं लिया जाएगा।
2. यह भाव पत्र सिर्फ ऑनलाईन ही भरा जाये।

(2) क्षेत्र संचालन के विस्तार कार्य/विपणन विस्तार कार्य एवं कार्यालयीन कार्य हेतु वाहन दर पत्रक

दिनांक 01.12.2022 से 30.11.2025 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिये

क्र	मुख्यालय	वाहन संचालन के स्थान एवं कार्य	दूरी कि.मी. प्रति माह	वांछित वाहन	दर रू. प्रति कि.मी.
1	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर के क्षेत्र संचालन विस्तार कार्य एवं कार्यालयीन कार्य हेतु	बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र एवं अवश्यकतानुसार प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर भी	2500 कि.मी. प्रतिमाह	बुलेरो जीप (ए.सी.) टॉप मॉडल या समकक्ष	
2	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर विपणन विस्तार कार्य एवं कार्यालयीन कार्य हेतु	बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र एवं अवश्यकतानुसार प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर भी	2500 कि.मी. प्रतिमाह	बुलेरो जीप (ए.सी.) टॉप मॉडल या समकक्ष	

उपरोक्त परिवहन निविदा से संबंधित समस्त शर्तें मेरे द्वारा पढ़ कर समझ ली गई हैं, जो मुझे मान्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर . . . .

नाम . . . .

पता . . . .